UPS/DA

मूपीएराआईडीए काम्पलेक्स A-1/4, लखनपुर पोस्ट बान्स न. 1050

का-गपुर - 208024

कुरमान : 2582851 -53(P6X) किरो : (0512) 2580797 अस्ताहर : www.upsidc.com.

ई भेल : feedback@upsidc.com रिता- UZ6960UP1961SGC002834

पत्राक

/एराआईडीए/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार गर्ग, उप नहाप्रबन्धक(प्र0/सा0) का स्थानान्तरण ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हो जाने फलस्वरूप उनके द्वारा देखे जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य अग्रिम आदेशो तक श्री अरविन्द गोहन सिंह, प्रवन्धक(प्र0/सा0) के द्वारा तत्काल प्रभाव से देखें जाएगें।

(संजय प्रसाद) मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 2806 - 2812 /एसआईडीए/ह्जाह misc. 140 दिनांक 20/08/2019 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।

2. वित्त नियंत्रक / महाप्रयन्धक (विधि), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।

3. समरत अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, गुख्यालय, कानपुर।


4. समरत क्षेत्रीय प्रवन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ट प्रबन्धक(सिविल/विद्युत) यूपीरिक्रित


् 5. श्री अरविन्द मोहन सिंह, प्रबन्धक(प्र०/सा०), औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानप्र।

सगरत अधिकारी / कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालग, कानपुर !

7. गार्ड फाइल।

(संजय प्रसाद) मुख्य कार्यपालक अधिकारी





यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर-208024 फोन नं0 0512-2582851-53(पीबीएक्स), फैक्स : 0512.2580797 वेबसाईट-www.onlineupsidc.com ई मेल- feedback@upsidc.com दिनांक

/यूपीसीडा/औ० क्षे०/

कार्यालय आदेश

औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर में दिनांक 09.08.2019 एवं तत्पश्चात् दिनांक 27.08.2019 को स्थानान्तरित कार्मिकों को प्राधिकरण कार्यहित में औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग से सम्बन्धित निम्नानुसार तत्काल

क्रण ४४०	יייי אווייייי שוא אווייייייייייייייייייי	सौंपे गये कार्य
1.	श्री कें कें गौर, अधीक्षक	नीति विषयक एवं प्राधिकरण बोर्ड से सम्बन्धित कार्य,
	ر مراجالواط	क्षेत्रीय कार्यालय बरेली एवं एसईजेड, मुरादाबाद से
		ज्यानियान प्रचातिस्याँ
2.	श्री गया प्रसाद, अधीक्षक	भारतीयाचार आरटीआई तथा शासन पत्राचार स
	ाना असाय, जवादाय	सम्बन्धित कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज एवं
		वागीच्या से सम्बंधित पत्रावलियाँ
3.	श्री ए० यू० सिददीकी, अधीक्षक	जनाम नंदा निर्वेश मित्र रेट रिवीजन, स्टाफ मीटिंग एवं
0.	त्रा ५० पूर्व सिव्यायम, जवादाय	एमआईएस से सम्बन्धित कार्य एवं क्षत्राय कायालय
		च्या से सम्बन्धित पत्रावलियाँ
1	श्री रामखिलाड़ी, सहा० श्रेणी—प्रथम	मनं उत्पादन सम्बन्धी समस्त कार्य एवं क्षेत्राय ।
4.	त्रा रामाखलाङ्ग, सहार जना प्रवर्ग	राज्यान गर्न हेगीआहेगा से सम्बन्धित पत्रापालया
	श्री अमित मिश्र, सहा० श्रेणी–द्वितीय	रिक्स / उत्ताह मीटिंग एवं क्षेत्रीय कीयालया के लाजिए
5.	श्री आमत मिश्र, सहार श्रेगा क्रियान	में के प्राथानीय से सम्बन्धित काय एवं दाराप
		र महिमातार गर्व कानपर से सम्बन्धित पत्रापालपा
	श्री अरशद हलीम, सहा० श्रेणी–द्वितीय	निर्म कार्मात्रम टास दिल्ली सिग्नियर सिटा ९५
6.	श्री अरशद हलान, संहोठ गर्ना विस	र के नाम जा जा गां। सिटा से सम्बन्धित पंत्रापालया
	श्री इन्द्रवीर सिंह, सहा० श्रेणी-द्वितीय	केनीम कामलिय गोरखपर एवं वाराणसा स संस्थानस
7.	श्री इन्द्रवार सिंह, सहाठ श्रना विसार	
	० ० जन्म गहा० श्रेणी दितीय	क्षेत्रीय कार्यालय आगरा एवं अलीगढ़ से सम्बन्धित
8.	श्री रविन्द्र कुमार, सहा० श्रेणी-द्वितीय	- TOTAL TOTA
	- भीविका श्रीवास्तव सहा0	क रें के मीर अधीयक के साथ कार्यों के निस्तारण
9.	श्रीमता माराप्य यानारा ग	े नाम जार केरीय कार्यालय मेरेंट से सम्बान्धत पर्यं
	श्रेणी–द्वितीय	र अनुन्न याकलून समिति इ-मल प्राप्त प्राप्त परि
10.	क्0 पादा। नानास्य	के साथ-साथ श्री अमित मिश्र के कार्यों में सहयोग
	श्रेणी–द्वितीय	47 (114) (114) (114)

यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पंकज पाण्डेय) प्रभारी(औ0क्षे0) दिनांक

संदर्भ सं0

/यूपीसीडा/औ0 क्षे0/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-स्टाफ आफीसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर। 1.

वैयक्तिक सहायक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कैम्प, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर। समस्त अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर। 2.

समस्त सम्बन्धित कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।

(पंकज पाण्डेंय प्रभारी(औ0क्षे0)

CIN No-U26960UP1961SGC002834 पंजीकृत कार्यालय-यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स, ए-1/4, लखनपुर, कानपुर-208024 दूरमाष सं0-2582851-53 (PBX) फैक्स नं0(0512) 2580797 वेब साईट-www. onlineupsidc.com

ेतर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेबलपमेन्ट कारपोरेशन

यूपीएसआई डीसी काम्पलेक्स

ए-1/4, लखनपुर पोस्ट बाक्स नं0 1050 कानपुर-208024

दूरमाव । 2582851—53 (PBX) फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com

सन्दर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य कार्य विभाजन सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 4854—60/एसआईडीसी/स्था0एफ0—क दिनांक 03.01.2017 को अवकमित करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारियों के मध्य निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयवार कार्य विभाजन किया जाता है :—

श्री डी०के० गर्ग, नुख्य प्रबन्धक	श्री डी०के० सिंह प्रभारी मुख्य प्रबन्धक
(औ०क्षे०)	(औ०क्षे०)
 कानपुर (पूर्व) / (पश्चिम)। लखनऊ। ट्रांसगंगा। अलीगढ़। इलाहाबाद। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। आगरा। झॉसी। फैजाबाद। 	 स्र्रजपुर। गाजियाबाद। साहिबाबाद। वाराणसी। गोरखपुर। बरेली। मुरादाबाद। मेरठ। ईपीआईपी।

(रणवीर प्रसाद) प्रबन्ध निदेशक

संवसंव ६२-६८ /एसआईडीसी-प्रविन्य किए दिनांक- 19-06-2017 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, कानपुर।

2. महाप्रबन्धक (विधि) मुख्यालय, कानपुर।

3. मुख्य अभियन्ता (परि०), मुख्यालय, कानपुर।

4. श्री डी०के० गर्ग, मुख्य प्रबन्धक (औ०क्षे०), मुख्यालय, कानपुर।

श्री डी०के० सिंह, प्रभारी मुख्य प्रबन्धक (औ०क्षे०) मुख्यालय, कानपुर।

 समस्त अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय / क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता।

7. वैयक्तिक सहायक, प्र0नि० कैम्प।

(रणवीर प्रसाद) प्रबन्ध निदेशक

पास्ट बाक्स न0 1050 कानपुर। दूरभाष 2582851-53 फैक्स - 0512-2580797

क्रम संग 2377-81/एसआईडीसी/1:A/ Durections, 07-08 दिनांक 01-12-2016

कार्यालय आदेश

आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं / कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु कितपय अधिकार प्रतिनिधायित करते हुये निर्गत किए गए कार्यालय आदेश संख्या विससे कि सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटियों के विभिन्न कार्यों सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सकें :—

अ. क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन / अधिकार
1.	सभी औद्योगिक आबंटन जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार समय उपलब्ध / विस्तारित है तथा अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों हेतु नियमानुसार पट्टाविलेख का निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, आरक्षण धनुसारी की देय तिथि से 30 दिन(तीव्र गति के क्षेत्रों में) / 60 दिन(मृद्ध गित के क्षेत्रों में) दिनों तक (क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करने का कार्य, पट्टाविलेख को आबंटी की अभिरक्षा में / वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल / बहुपक्षीय रहन, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक आबंटनों में उत्पाद परिवर्तन / अतिरिक्त उत्पाद की अनुमित,	पूर्ण अधिकार
2	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करनां, जमा धनराशि में रू० 100/- तक की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से आबंटी को हटाने सम्बन्धी कार्य।	पूर्ण अधिकार
3.	औरोगिक आवंदनों का समग्र विस्तारण	आवंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
4.	पूर्ण लेवी सहित औद्योगिक भूखण्ड आबंटनों का हरतांतरण	तिथि से 04 वर्ष तक
5.	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण (पूर्ण लेवी सहित)	THE RESERVE AS THE RESERVE AS THE
6.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन (बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन कें)	एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की

AM





औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	एक एकड क्षेत्रफल तक क्रियाशील इकाईयों की परिभाषा से
भवन मानचित्र की स्वीकृति	आच्छादित प्रकरणों में पूर्ण अधिकार (क) औद्योगिक आबंटनों में एक एकड क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि से 04 वर्ष तक (ख) एकल आवासीय मूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
	(ग) अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमित प्रदान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति/अनुमोदन निर्गत करने के पूर्ण अधिकार।
देयों का भुगतान न करने की दशा में सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण	पूर्ण अधिकार
अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डो के आबंटन का निरस्तीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तक
औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	एक एकड क्षेत्रफल तथा आबटन व तिथि से 04 वर्ष तक
सभी प्रकृति के भूखण्डों में देयों का रिशिड्यूलमेन्ड	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन व तिथि से 04 वर्ष तक

ब. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त अधिकार

1	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष तक
2.	्रिक ने क्रम के भारत के भारत का सस्तातरण	दो एकड क्षेत्रफल तक
3.	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के हस्तातरण के	
4.	प्रकरण दो वर्ष लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित / 'क्रियाशील इकाईयों' की परिभाषा से आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का हस्तांतरण	दो एकड क्षेत्रफल तक
5.	सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटनों में पुर्नगठन/भूखण्ड	
6.	परिवर्तन / देयों का रिशिड्यूलमेन्ट आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड—आबंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी	
7.	का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के) औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	दो एकड क्षेत्रफल तक





8.	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का	एक एकड से अधिक दो एकड
9.	औद्योगिक / एकल आवाकीम अर्थ	क्षेत्रफल तक
3,	औद्योगिक / एकल आवासीय भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	दो एकड क्षेत्रफल तक
10.	सभी प्रकृति के आबंदनों के भूवन मार्चिक के क	
	सभी प्रकृति के आबंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी को अनुमति	वी एकड क्षेत्रफल तक के आबंटन

स. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकार

1.	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक
2.	पूर्ण लेवी के सभी प्रकृति के आबंटनों का हस्तांतरण	पांच प्रकटर शेलाहल तक
3.	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के हस्तांतरण के	पांच एकड क्षेत्रफल तक
4.	दो वर्षे लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित / "क्रियाशील इकाईयों" की परिभाषा से आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का हस्तांतरण	क्षेत्रफल तक
5.	सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटनों में पुर्नगठन/भूखण्ड परिवर्तन/देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	
6.	अबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड—आबंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन कें)	
7.	सभी प्रकृति के अनुपयोगित भूखण्डों के आबंटन का	पांच एकड क्षेत्रफल तक
8.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	पांच एकड क्षेत्रफल तक
9.	औद्योगिक भरवण्डों पर द्वितीय इकाई की स्थापना	पूर्ण अधिकार
10.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा देने के पश्चात् हुई	
11.	सभी प्रकृति के आबंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी को अनुमति देना	पांच एकड क्षेत्रफल तक

"सभी प्रकृति के आबंटनो" से तात्पर्य विभिन्न भू—उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु किये गये आबंटनों से है। क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य प्रकरणों को यथाशीध मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर अन्तिम निर्णय एक माह के अन्दर लिया जा सके। कोई भी प्रकरण उच्चतर प्राधिकारी को उसी स्थिति में अग्रसारित किया जायेगा जबिक वह प्रेषक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो

अथवा कोई विशिष्ट कारण / अस्पष्टता की स्थित हो. जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे तथा ऐसी सभी पत्राविलयां संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख प्राप्त कर अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित कुमार घोष) प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं0 2377 -81 /एसआईडीसी/I:A/DwochiontoAU दिनांक 0 1-12-2011 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।

2. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।

3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, कानपुर।

4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

5. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार घोष) प्रबन्ध निदेशक